कार्यवाही विवरण

मेसर्स महेश्वरी कोल बेनिफिकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–परसदा, नियर सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् कोल वॉशरी क्षमता–1.2 एमटीपीए (Dry Process) से 3.6 एमटीपीए (By Adding 2.4 MTPA Through Wet Process) के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 10/08/2018 दिन–शुक्रवार, समय–12.00 बजे, स्थान–सिरगिट्टी थाना के पीछे स्थित खुली भूमि पर तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत **मेसर्स महेश्वरी कोल बेनिफिकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–परसदा, नियर सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् कोल वॉशरी क्षमता–1.2 एमटीपीए (Dry Process) से 3.6 एमटीपीए (By Adding 2.4 MTPA Through Wet Process) के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति** के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, बिलासपुर एवं हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 05.07.2017 तथा द टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 06.07.2018 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई **सुनवाई दिनांक 10/08/2018 दिन–शुक्रवार,** अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर की अध्यक्षता में **स्थान–सिरगिट्टी थाना के पीछे स्थित खुली भूमि पर तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर–बिलासपुर, जिला पंचायत कार्यालय–बिलासपुर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र–बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, **कार्यालय नगर पंचायत सिरगिट्टी, कार्यालय नगर पंचायत बोदरी, कार्यालय नगर पंचायत तिफरा, कार्यालय ग्राम पंचायत परसदा, कार्यालय ग्राम पंचायत बन्नाक, कार्यालय ग्राम पंचायत महमंद, कार्यालय ग्राम पंचायत कोरमी, कार्यालय ग्राम पंचायत बसिया, कार्यालय ग्राम पंचायत नगपुरा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.),** डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लयू.सी.जेड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राऊण्ड फ्लोर ईस्ट विन्ग, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल

उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 02 पत्र प्राप्त हुए है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 10/08/2018 दिन–शुक्रवार को समय 12:00 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर की अध्यक्षता में **स्थान–सिरगिट्टी थाना के पीछे स्थित खुली भूमि पर तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री आलोक पाण्डेय, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् क्षमता विस्तार के तहत् कोल वाशरी परियोजना की ओर से श्री सिद्धार्थ, कंसलटेन्ट, **मेसर्स महेश्वरी कोल बेनिफिकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–परसदा, नियर सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** के द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् कोल वॉशरी परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई।

अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री जितेन्द्र चौबे, वार्ड नं. 03, सिरगिट्टी, नगर पंचायत जिला–बिलासपुर** :– इस क्षमता विस्तार परियोजना का कड़ा विरोध करने आया हूं। क्योकि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। यह समस्या हम लोगों ने इसी वर्ष देखी हुई है। कि रात को 3.00 बजे उठकर हम लोगों को पानी भरना पड़ता है। कोयला कोल को वाश करने के लिए जो पानी आयेगा वो पानी कहॉ से आयेगा। आप भू–जल स्तर का प्रयोग करेंगे। भू–जल स्तर का उपयोग करने के लिए हमारे सिरगिट्टी में इतनी सारी फैक्टरियां है जो मनमौजी ढंग से बोर करवाकर रखे हुये है। और भू–जल स्तर का पूरा उपयोग कर रहे है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए एक भी कदम उन्होंने नहीं उठाया है। कहीं एक भी पेड नहीं लगाते है। न किसी ग्राम के विकास के लिए अपना सहयोग देते है। इसलिए मै कडा आपत्ति करता हूॅ इस विस्तार का। सिरगिट्टी में पूर्व संचालित फैक्ट्रियां है उनकी जांच भी कराये कि वो कितने बोरवेल करवा कर रखे हुये है। उसकी भू–जल से पानी लाने की कितनी क्षमता है वो कितने हजार फीट तक पानी खोद कर रखा हुआ है। जिसका उपयोग करते है वो इसलिए मै कड़ी आपत्ति करता हूं इस विस्तार की।
2. **श्री जसबीर सिंह, आम आदमी पार्टी, बिल्हा** :–जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 13 लाख जो सी.एस.आर में खर्च किया जायेगा। ये आप लोग कैसे डिसाईड करते है।

कैसे खर्च करेंगे उसे बताएं। यहां सिरगिट्टी एरिया में पानी का सार्टेज है। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। बडी–बडी फैक्ट्रियां लगे। हमारे लोगों को रोजगार मिले। ग्राउंड वॉटर जो अमृत बराबर है। कोयले की डस्ट दबाने के लिए या फिर जो भी 4 इंच या 5 इंच का आप बडे–बडे बोरवेल करेंगे। यहां पर पानी बचाने के लिए बड़ा सा जमीन खोदकर रेन वाटर का संरक्षण करना चाहिए। उसका पुर्नउपयोग करना चाहिए। और मै एक खुद डोलोमाईट माइंस का ओनर हूॅ। आज कल मशीनकरण युग में ऐमप्लाईमेंट जनरेट नहीं होने वाला। तो फायदा सिर्फ महेश्वरी कोल वाशरी को मिल रहा है अन्य को क्या फायदा होगा ? वॉटर की सार्टेज है, ये यहां प्लांट लगे, व बारिश का पानी को यूज करेंगे। दूसरा एयर पॉल्यूशन तो होना ही है, तीसरा ट्राफिक भी बढेगा ही, इससे सड़क भी खराब होगा, इससे सिर्फ महेश्वरी कोल को फायदा है। जनता को फायदा नहीं होगा। कोल वाशरी में कम पढे लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। शिक्षित लोग ही आपकी मशीनों को चलते है। उसमें मशीन चलाना पडता है। कम शिक्षित लोगों को नहीं लिया जाता है। ऑपरेटर बाहर से ले लिया जाता है। हम बाहर स्टेट वालो के खिलाफ नहीं है। जब आपको जमीन सस्ती मिल रही है। जगह छत्तीसगढ़ की मिल रही है। जगह सिरगिट्टी की मिल रही है। तो यहां के लोगों का रोजगार होना चाहिए। साल भर में 13 लाख रूपय की क्या वेल्यू है ? साल भर में यह 13 लाख ऊंट के मुह में जीरा है।

3. **श्रीमती अंजनी कौशिक, सरपंच, ग्राम पंचायत परसदा** :– मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे पंचायत में स्थित कोल वाशरी स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये एवं सभी लोगों से यह उम्मीद करती हूॅ कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत् सेक्टर–बी जो कि मेरे पंचायत एरिया में है। पर्यावरण एवं हरियाली का भी ध्यान रखे। मैं क्षमता विस्तार की समर्थन करती हूं।

4. **श्री प्रकाश दुबे, वार्ड न. 03 सिरगिट्टी** :– आपके द्वारा बताया गया है कि 10 कि. मी. में कोई तालाब नहीं है। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि सिरगिट्टी में 05 तालाब है। यहां कोई जंगल क्षेत्र नहीं है। फदराखार 700 एकड़ जंगल क्षेत्र है। 700 एकड़ क्षेत्र में डेव्हलपमेंट पार्क की प्रक्रिया चल रही है। जो काफी दिनो से चल रही है। अगर यह कोल वाशरी स्थापित होती है तो उसमें से उडने वाला राख प्रकाश संश्लेषण में बहुत बडा बाधक बनता है, जो कि पत्ते में अगर राखड जमेगा। प्रकाश संश्लेषण कहां से करेंगें ? ट्री प्लांटेशन हो रहा है उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाए है ? हमतो लाखों पौधे हर साल लगा रहे है। वे बडा होता है क्या ? वो नहीं होता है। 1 साल में 10 प्रतिशत भी पेड नहीं उगते है यहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था कोई भी प्लांट में नहीं है। एरिया का पानी टेस्ट कराईये। पूरे केमिकल मिलेंगे। यहां पर अभी देखिये कि कितनी बारिश हो रही है। कितना पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। यहां पर समाजिक व्यवस्था के लिए आप गांव को 13 लाख रूपये देंगे। आपकी कंपनी इससे पहले भी स्थापित है। इसके पहले आपने क्या–क्या किया है ? शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में क्या किया है ? बताइये ना। हम यहां बेरोजगार घूम रहे है। यहां हमारा कोई मदद नहीं किया है। यहां की रोड़ सडके का कोई विकास नहीं हुआ है। आज आपके कितने साल से है मेरे को नहीं पता है। लेकिन आज तक आपके द्वारा यहां क्या किया

गया है ? शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलो का क्या किया गया है ? यहां के वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया है ? आज से 10 साल पहले 80 फीट में पानी मिलता था लेकिन आज 380 हो गया है। उसमें भरोसा नहीं रहता है कि कितना पानी आयेगा कि नहीं आयेगा। वॉटर हार्वेस्टिं बोल रहे है सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। सिर्फ दिखावे के लिए होता है। कोई उसको उपयोग नहीं करते है 01 साल बाद वो पूरा कंडम है। इसलिए मैं इस परियोजना का सख्त विरोध करता हूं।

5. **श्री भृगु अवस्थी, वार्ड नं. 03 नगर पंचायत, सिरगिट्टी** :– वास्तव में आपके द्वारा यह बताया गया है कि इस परियोजना से सिर्फ लाभ है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, गरीबों के लिए शिक्षा व आर्थिक उद्धार जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया गया है ये जो आपका संस्था है। इस कोल वॉशरी 1.2 एमटीपीए से बढाकर आप 3. 6 करने जा रहे है। इससे पहले भी ऐसा जनसुनवाई रहा होगा। उसके माध्यम से आप ने ऐसे कौन–कौन से विकास कार्य किये है जिससे लोगों को नगर पंचातय सिरगिट्टी के साथ–साथ लगे ग्राम पंचायत परसदा, कोरमी, हरदी, बसिया इत्यादि को क्या–क्या सुविधा उपलब्ध हुई है। कृपया आप सभी उपलबध कराने का कष्ट करेंगे, तो अच्छा होगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना संपूर्ण संरक्षण योजना के बारे में बताया गया है। इसका मैं इसका कडा विरोध करता हूं।

6. **श्रीमती ममता मनहरण कौशिक, जि. पं. सदस्य.** :– मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे ग्राम पंचायत परसदा यह उद्योग विगत 12–15 वर्ष से संचालित था। जिसमें हमारे गांव के बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। और इस कंपनी ने हमारी गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गावं एवं आसपास के कम से कम एक हजार लोगों को रोजागर देने का कार्य किया है। आज के बदलते समय में देश एवं प्रदेश के विकास के लिए उद्योग का विकास के लिये होना जरूरी हो गया है। जब प्लांट का विस्तार होगा तो बेरोजगार स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना होगा। उद्योग लगने से हमारे गांवों एवं आसपास के बेरोजगार लोगों हमारे भाईयो बहनो को खुशी होगी है। जब उद्योग बडा होता है तो कार्य की क्षमता भी अधिक होती है। पर्यावरण के लिए उचित व्यवस्था करना होगा। पानी बाहर न बहे सिर्फ उद्योग में उपयोग में ले। प्लांट संचालक द्वारा समय–समय पर वृक्षारोपण, पंचायत के विकास के लिए सहयोग करते रहे। समय–समय पर दिशा निर्देश का पालन करेंगे। हमारे ग्राम एवं आसपास के सभी गांवों के लिए मूलभूत सुविधा की व्यवस्था कराया जाये। प्लांट के विस्तार हेतु मैं सहमति देती हूं।

तत्पश्चात् उपस्थित जन समूह द्वारा प्लांट के विरोध के साथ हो–हल्ला होने लगा।

7. **श्री मनोज दुबे, सिरगिट्टी, न. पं. अध्यक्ष** :–सिरगिट्टी में जितनी समस्या है हम सिरगिट्टी वाले ही झेलते है। हम महसूस करते है कि सिरगिट्टी में जितने भी उद्योग लगे हुये है। प्रदूषण हम झेलेते है, बीमारी हम झेलते है। नगर पंचायत सिरगिट्टी के समस्त नागरिकों के तरफ से मैं इस कोल वॉशरी का घोर विरोध करता हूॅं। सिरगिट्टी में जितने भी उद्योग लगा हुआ है यहां के स्थानीय लोगों का शोषण हुआ है। बात करते है योग्यता की जब योग्ता लेकर जाते है तो बोलते है कि भाई इस योग्यता के नहीं हो तो सिरगिट्टी एरिया सिर्फ शोषण करने के लिए पैदा हुई है। रही बात पानी की कि हम लोग सिर्फ 20 फीट में बोर से पानी

निकालते थे आज कि स्थिति यह है कि उद्योग लगने के 3 साल या 5 साल के बाद 500 या 1000 फीट पानी खोद के भी पानी नहीं निकलता है। ये कोल वॉशरी वाले बताये कि पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे ? पानी कहां से लायेंगे। सिरगिट्टी की सारी जनता इस कोल वॉशरी का विरोध करती है। मै भी विरोध करता हूॅ। मै वादा करता हूॅ कि इस विरोध के बावजूद कोल काशरी को अनुमति देते हैं, तो हम घोर आंदोलन करेंगे।

8. **श्री मनहरण लाल कौशिक,** जन सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने का आजादी है। कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है जो भी अपने विचार हैं आप चाहे कंपनी के पक्ष में रखे या उनके विपक्ष में आप स्वतंत्र है। आपकी बात को सुनने के लिए अधिकारी आये हुये है। आपके बातों को भी विचार रखा जायेगा। विरोध नहीं करेंगे तो इस देश का विकास कैसे होगा ? (इस दौरान उपस्थित जन समुदाय में लोगों के बीच प्लांट के विरोध करते हुए आपस में वाद–विवाद होने लगा) इस प्रकार विरोध करने से कोई समाधान नहीं होगा।

हो हल्ला होने लगा, माईक हटा लिया गया

9. **श्री शैलेन्द्र कौशिक** :– मैं किसी भी जनप्रतिनिधि को बोलना चाहता हूॅ कि किसी भी उद्योग का समर्थन न करें। यहां के लोगों की स्थिति को देखते हुये, बात करें। हमको यहां कोल वॉशरी नहीं चाहिए। विरोध के साथ मै विरोध करता हूं।

10. **श्री जितेन्द्र चौबे** :– हमारे यहां पानी की ज्यादा समस्या है। कोल वॉशरी का पानी कहां से लायेंगे ? हम उसका विरोध करते है। मेरा घोर आपत्ति है। (दूबारा बोला है)

11. **श्री पावन साहू, वार्ड नं. 05, सिरगिट्टी, जोगी कांग्रेस प्रदेश सचिव** :– मैं कोल वाशरी एवं सिरगिट्टी में कोई भी बडा उद्योग लगाने के विरूद्व हूॅ। सिरगिट्टी में रात को 2.00 बजे 2.30 बजे उठ कर हमारी मॉ बहन हमारे परिवार के लोग पानी भरते है। किसी के बोर में 01 लोटा पानी आता है किसी के घर में 01 बाल्टी आता है। पानी की समस्या हम जानते है यहां पर। मेरे सिरगिट्टी के नागरिक जानते है परसदा कोरमी, बसिया, हर्दी के लोग जानते है। यहां 500–500 फीट नीचे तक पानी नहीं है। केशिंग नहीं लगा, सिर्फ 2 इंच पाईप डालकर हम लोग पानी निकालते थे। हमने देखा है मैने देखा अपनी जिंदगी में। आज की समस्या है कि 500–600 फीट में पानी नहीं है। नगर पंचायत में बोर किया हुआ है 1 इंच भी पानी नहीं है। 01 बूंद पानी नहीं है। 2–2, 3–3 किमी. से हम पानी लेके आते है। पानी खरीदते है सिरगिट्टी के निवासी। हमारे अधिकारी बोलते है पानी यहां उपलब्ध है पानी हमारे यहां नहीं है। सिरगिट्टी के सारे उद्योगों को चेक किया जाये। यहां पर जितने बोर है उसे चेक किया जाये फिर बतायें। स्थानीय लोगों को लेबर के अलावा अन्य किसी पद में कोई रोजगार दिया गया हो तो बतायें। मेरे बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। यहां पर बाहर के लोगों को रोजगार दिया गया है न कि स्थानीय लोगों को। पानी, पर्यावरण यहां पर प्रमुख मुद्दा ? यहां पर यदि पेड़ लगा है तो वर्ष भर बाद वह जीवित है कि नहीं कोई देखरेख नहीं किया जाता है। सिर्फ बोलते है, करते कुछ नहीं हैं। स्वच्छता एवं पेयजल की बात है तो यहां कितने स्वच्छ पेयजल एवं कितना स्वच्छता के संबंध में खर्च किये है ? गरीबों के

लिए शिक्षा के लिए किस स्कूल को गोद लिया गया है बताईये ? स्कूल के पास जो गडढा है उसमें 03 फीट मिट्‌टी भी नहीं डाल सके। यह विकास नहीं विनाश है। यहां सिरगिट्‌टी में दमा से मर रहे हैं, वायु प्रदूषण की समस्या है। आप पहले समस्या को समझों फिर समर्थन करो। मैं घोर विरोध करता हूं।

12. **श्रीमती लीलाबाई** :– हम लोग कोल वाशरी में काम करते हैं। 10 साल हो गया है। हमको और अधिक काम मिलना चाहिए। कोल वाशरी बंद नहीं होना चाहिए। इसका विस्तार होना चाहिए। वाशरी चलना चाहिए।

13. **श्रीमती वृन्दाबाई** :– 05 वर्ष हो गये मुझे कोल वाशरी में काम करते हुए। मेरा समर्थन है।

14. **श्रीमती अधीन बाई :–** समर्थन है।

15. **श्री गांधी बंजारे, बोदरी** :– यहां पर सबको बोलने देना चाहिए। सबको बोलने का हक है। समर्थन करते हैं और समर्थन करते रहेंगे।

16. **श्रीमती लीलाबाई ध्रुव** :– 350 रू. रोजी दे रहे हैं। यहां 05 वर्ष हो गये हमें काम करते। मेरा समर्थन है।

17. **श्रीमती शीलाबाई** :– यहां पर धूल धक्कड़ को हम लोग झेलेंगे और कोई नहीं झेलेगा। गांव के लोकल लोगों को पूछना चाहिए यहां पर और किसी को नहीं पूछे। मेरा विरोध है।

18. **ध्रुव** :– विरोध है।

19. **श्री लक्ष्मी नारायण साहू** :– आज कंपनी में देखिये कि 06 इंच बोर हो रहा है। यहां का जल स्तर गिर रहा है। मैं घोर विरोध करता हूं।

20. **श्री बलराम देवांगन, सिरगिट्‌टी** :– इस विस्तार से मुझे आपत्ति है। यहां आसपास सभी गांव पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। यहां पर पेयजल की समस्या एवं प्रदूषण से निश्चित ही लोग प्रभावित होगा। नगर पंचायत सिरगिट्‌टी व आसपास ग्रामों में कोई भी लाभ नहीं होगा।

21. **श्रीमती गोदवरी बाई, सिरगिट्‌टी वार्ड नं. 15** :– हम लोग को यहां कोल वाशरी नहीं चाहिए। पानी का बहुत तकलीफ है।

22. **श्रीमती शांति बाई** :– कोल वाशरी नहीं चाहिए।

23. **श्रीमती सोमती बाई ध्रुव** :– कोल वाशरी नहीं चाहिए। विरोध है।

24. **श्री विनोद साहू,** :– कोल वाशरी का अभी विस्तार नहीं हुआ है और मेरे घर में डस्ट जमा हो जाता है। इसी वजह से हमेशा दरवाजा बंद करके रखना पड़ता है। जिससे रहने वालों को सांस की समस्या होती है। अभी तो ये हाल है, कोल वॉशरी लग जायेगा तो क्या होगा ? आदमी काला हो के निकलेगा। इस वाशरी का विरोध है।

25. **श्रीमती उरईपान** :– हमको कोल वाशरी नहीं चाहिए। पानी चाहिए। हम लोग किसमें जीयेंगे। यहां पर हमें पानी नहीं मिल रहा है।

26. **श्रीमती जानकी बाइ वार्ड नं. 15** :– विरोध है।

27. **श्रीमती सीताबाई** :– कोल वाशरी नहीं चाहिए। विरोध है।

28. **श्रीमती रजनी** :– विरोध है।

29. **श्री विनोद कुमार गुप्ता** :– मैं कोल वाशरी का विरोध करता हूं। जब कोल वाशरी का पानी नाले में बहता है तो उसे नाले में जानवर पीकर मरते हैं। ये बोलते है कि आम जनता को पानी नहीं देंगे। नाले का पानी इतना गंदा आता है कि आप एकबार जाकर देखे कि कोरमी, बसिया कितना गंदा है। हम इसका घोर विरोध करते हैं।

30. **श्री आनंद पाठक, वार्ड नं. 12** :– पुराना कोल वाशरी है उसके आसपास निरीक्षण किया जाये और पता करें।

31. **श्री संजय श्रीवास वार्ड नं. 15 सिरगिट्टी** :– जो यहां पर नियमावली बताया जा रहा है उसे जांच कर बताये कि पूर्व में स्थापित कोल वाशरी है उसने क्या किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। पिछले वर्ष हमे पानी का समस्या हुआ तो कोल वाशरी द्वारा नगर पंचायत सिरगिट्टी के लिए कुछ किये क्या? कोई जवाब नहीं है तो यहां पर कैसे आवेदन लेकर आये। जो कंपनी पूर्व में स्थापित है वहां पर नियम लागू नहीं हो रहा है। यहां पर कैसे आज जनसुनवाई किया जा रहा है।

32. **श्री सुंदर सिंह, सिरगिट्टी** :– मैं इस कोल वॉशरी का विरोध करता हूं। आज तक कोल वाशरी ने 15 सालों से सिरगिट्टी निवासियों ग्राम पंचायत व नगर पंचायत को कोई सहायता प्रदान नहीं किया गया। साथ ही यहां के गरीब मजदूर और शिक्षित बेरोजगारो को नौकरी नहीं मिला। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं।

33. **श्री गजेन्द्र सिंह वार्ड क. 5 सिरगिट्टी** :– इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हॅू।

34. **श्री ओम अवस्थी, सिरगिट्टी** :– विगत पांच सालों में जो प्लांट लगे हुए उससे क्षेत्र में पानी दूषित हो रहा है। जो आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके बावजूद भी प्लांट डाला जा रहा है। 20–20 साल पुराना नदी तालाब सूख चुका है। बचा है बस दूषित पानी। मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

35. **श्री गोविन्द विश्वकर्मा वार्ड नं. 5, सिरगिट्टी** :– मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। अगर प्लांट आयेगा तो बहुत लोगों को प्लांट में रोजगार मिलेगा।

हो हल्ला होने लगा।

36. **श्री गिरधारी सिंह, वार्ड नं. 13**:– कंपनी का घोर विरोध करता हूं। आज हमारे सिरगिट्टी के लोग जाते है फैक्ट्री में, तो वहां के लोग गेट से ही भगा देते है। बी.ई.सी. में 400 लेबर हैं वहां पर हमारे सिरगिट्टी का 05 लेबर नहीं है। हमारा जमीन है, हमारा लाईट है, पानी दे रहे है, हम जमीन का रक्षा किये है, उसके बाद भी आज नगर पंचायत सिरगिट्टी के लोगो को नहीं रखा जा रहा है। इसको हम लोग किसी भी स्थिति में खुलने नहीं देंगे। जितने फैक्ट्री है हम उतने परेशान हो गये है और नया फैक्ट्री नहीं खोला जाये।

37. **श्री सोनू कुर्रे, सेवार** :– ये लोक सनुवाई है या जनता की सुनवाई है या पर्सनल सुनवाई। बताईये।

38. **श्री राहुल कौशिक, रेल्वे क्षेत्र** :– यहां पर अगर कंपनी खुलेगा तो रोजगार मिलेगा, बोलते हैं। यहां पर आज तक कितना कंपनी खुल गया है। यहां के लोगों को रोजगार मिला है बताईये ? आज कितने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे है उनको नौकरी क्यो नहीं मिल रहा है ? यहां पानी का समस्या है। यहां कंपनी नहीं खुलना चाहिए। आज बेरोजगार युवा को कितनी समस्या है उनसे जाकर पूछिए। मैं आपत्ति करता हूं।

39. **श्री नारायण अवस्थी, सिरगिट्टी** :– सबसे पहले बताईये कि आमसभा की सूचना क्या सबको थी कि नहीं थी ? किसी को यहां सूचना नहीं दी गई थी। भारत में जितने प्रकार के कोल वॉशरी है दमा जैसे बीमारी फैलेगी तो उसकी गारंटी क्या कोल वाशरी वाले देंगे। यहां पर कोल वॉशरी वाले एम्बुलेंस दिये है ? नहीं दिये है। ये कोल वॉशरी वाले सिरगिट्टी की जनता का शोषण करेंगे। मैं इसका विरोध करता हूं।

40. **श्री दिनेश श्रीवास, वार्ड नं. 04** :– बचपन से ये खेल का मैंदान रहा है ये पहले सीएसआईडीसी का निर्माण हुआ था। मै इस कोल वॉशरी का घोर विरोध करता हूं।

41. **श्री मोहन गुप्ता, वार्ड नं. 03 सिरगिट्टी** :– मैं कोल वॉशरी का पुरजोर विरोध करता हूं।

42. **श्री द्रोण सोणकारी** :– मै इस कोल वॉशरी का विरोध करता हॅू। ये कोल वॉशरी में 99 प्रतिशत विरोध है। विरोध है।

43. **श्री दूर्गेश यादव, वार्ड नं. 05 पार्षद** :– मैं इस कोल वॉशरी का विरोध करता हॅू। पानी की समस्या है मोहल्ले वाले पानी के लिए तरस है। इसलिए मै इस फैक्ट्री का विरोध करता हूं।

44. **श्री सोमनाथ पाण्डेय, वार्ड क्रं. 12** – महेश्वरी कोल वॉशरी द्वारा क्षमता बढाई जा रही है। इसमें बहुत प्रदूषण होगा, पानी की समस्या होगी, हमारे सिरगिट्टी का पानी का वॉटर लेबल 400 फीट नीचे हो गया है। यह सब बढ़ती हुई औद्योगीकरण के कारण हो रहा है। मैं सिरगिट्टी नगर पंचायत एवं जनता द्वारा इस कोल वॉशरी का विरोध करता हूं।

45. **श्री शैलेष पात्रे, सिरगिट्टी** :– बन्नाक चौक से नया बस स्टैण्ड जाता हू तो मेरी नींद उड जाती है। क्यू यहां पर रोड के किनारे पेड़ के एक भी हरे पत्ते नहीं है। काले हैं। मैं इसका पूरजोर विरोध करता हूं।

46. **श्री सुनंदा रेड्डी, पर्यावरण विद्** :– उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किया जायेगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार के संबंध में 10 कि.मी. की परिधि में यहां का जल एवं वायु की जांच किया जायेगा, आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण और उद्योग परिवहन की जानकारी, के लोगों को रोजगार किया जाये। प्रशिक्षण और सीएसआर के तहत् प्रस्ताव और उसकी मॉनिटरिंग हो, मेरे सुझाव का स्वीकार करें।

47. **श्री हरिया गोड़** :–यहां कोल वाशरी नहीं चाहिए।

48. **श्री संजय श्रीवास** :– यहां पर खेल मैंदान रहा है इसे खेल का मैंदान रहने दिया जाये। मैं इसका पूरजोर घोर विरोध करता हूं।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब लगभग अपरान्ह 2:30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

क्षमता विस्तार के तहत् कोल वाशरी परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री अनिल मुंदड़ा, डायरेक्टर, **मेसर्स महेश्वरी कोल बेनिफिकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–परसदा, नियर सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग अपरान्ह 3.00 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 15 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 48 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 300 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 88 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर